07/03/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अप-
-फल उपन प्रा.पत्र आंशिक स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा
गया। लेखक से फल हो।

निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2023/491

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 221/2023

LRCMS No. 2023/451

–: अनवान :–

जयनारायण पुत्र पृथ्वीराज जाति नायक निवासी 24 ए.एस.सी. न. 16 घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर हाल 1 एल. एम. की आबादी 1 जी.एम. ढ़ाणी 390 आर.डी.।

... प्रार्थी

बनाम

1. पृथ्वीराज पुत्र गणपतराम } जाति नायक निवासी 24 ए.एस.सी. वार्ड न. 16
2. बृजलाल पुत्र पृथ्वीराज } घड़साना तहसील घड़साना।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1–2,
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

— :: निर्णय ::—

दिनांक:– 07/03/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने इस अदालत में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 207, 209 आरटीए 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी/वादी के पिता अप्रार्थी/प्रतिवादी न. 1 पृथ्वीराज के नाम चक 1 जी. एम. पटवार हल्का भोपालपुरा के पत्थर नम्बर 224/61 मु.न. 65 के किला नम्बर 1, 3 ता 25 में 5.9470 हैक्टेयर भूमि(3.0870 कंमाड, 2.7350 अ.क. 0.1250 खाला) दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। यह भूमि प्रार्थी/वादी के दादा गणपत से विरासतन प्रार्थी/वादी के पिता के नाम आयी हुई होने से प्रार्थी/वादी का इस भूमि में जन्म से हक होने से जैरवाद/प्रकरण भूमि में हको की घोषणा की जावे। वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का प्रस्तुत करके निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वो चक 1 जी.एम. की जमाबंदी सवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 40/24 के पत्थर नम्बर 224/61 की कुल 5.947 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड में अप्रार्थी न. 1 पृथ्वीराज के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि में से 1/3 हिस्सा से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे व इस रकबा को रहन बैय नहीं करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुन कर प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए दिनांक 09.10.2023 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया कि जैरप्रकरण भूमि चक 1 जी.एम. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 40/24 के पत्थर नम्बर 224/61(65) की कुल 5.947 हैक्टेयर कमांड/अनकमांड भूमि 1/2 हिस्सा प्रार्थी के पिता के नाम से है उसके 1/3 हिस्सा भूमि के कब्जा काश्त से प्रार्थी को बेदखल न करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–221/2023)

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 14.03.2024 को 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा जिससे विरासतन जैरप्रकरण भूमि आना बताई गई हैं वह गलत बताई गई हैं। गणपत के स्वर्गवास हो जाने पर उनके नाम से दर्ज 5.9470 हैक्टेयर भूमि स्व. गणपत की पत्नी तुलछी तीन पुत्रीयों रेशमा, परमेश्वरी व विद्यादेवी व चार पुत्रो भादर, हजारी, बेगाराम व पृथ्वीराज अप्रार्थी न. 1 कुल आठ वारिसों को 1/8, 1/8 हिस्सा पिता से विरासतन प्राप्त हुआ हैं उतनी ही भूमि अप्रार्थी न. 1 के नाम से पैतृक भूमि हैं, बाकी भूमि तो अपने भाई व बहनो द्वारा दिनांक 15.01.1996 को दस्तबरदारी से आयी हैं वह भूमि पैतृक भूमि न होकर स्वंय की भूमि हैं उसमें प्रार्थी जयनारायण का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता हैं, कुल 5.947 हैक्टेयर में अप्रार्थी न. 1 पृथ्वीराज को 1/8 वां हिस्सा पिता से विरासतन प्राप्त हुआ हैं, प्रार्थी सहित 2 भाई व एक बहन हैं व एक अप्रार्थी न. 1, इस प्रकार प्रार्थी जैरप्रकरण भूमि 5.947 हैक्टेयर में 1/8 वां हिस्सा में से 1/4 वां हिस्सा तक की भूमि का कानूनी हकदार बनता हैं व उतनी भूमि तक ही वह हकदार हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए निरस्त किया जावे।

उभय पक्षकारान के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को ही दोहराते हुए बहस की गई कि जैरप्रकरण कुल 5.947 हैक्टेयर में अप्रार्थी न. 1 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हैं उसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता हैं। इतने हिस्सा तक की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी न. 1 को पाबन्द किया जावे कि वो वाद पत्र के निर्णय तक पुर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को दावे के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण न. 1– 2 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस की हैं कि प्रार्थी ने अदालत से तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में जो गणपत का खुर्शीनामा दिया हैं वह गलत दर्शाया गया हैं। इस खुर्शीनामा में गणपत के दो ही वारिस बताये गये हैं व प्रार्थी स्वंय द्वारा गणपत का जो वारिसनामा अदालत में प्रस्तुत किया है उसमें आठ वारिस अंकित हैं व प्रार्थी स्वंय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के पैरा संख्या 4 मं मान रहा हैं कि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 पृथ्वीराज को 1/8 हिस्सा से ज्यादा जो रकबा आया हैं वह अपने भाई व बहनो द्वारा उनके पक्ष में दिनांक 15.01.1996 को करवायी गई दस्तबरदारी से आया हैं वह भूमि पैतृक भूमि की परिभाषा में नहीं आती हैं। योग्य अधिवक्ता द्वारा हिन्दू लॉ में पैतृक सम्पति बाबत कानून भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पैतृक सम्पति वह होती हैं जो अपने पिता या दादा से विरासतन प्राप्त होती हैं, किसी अन्य के द्वारा दान या दस्तबरदारी के माध्यम से आयी भूमि पैतृक भूमि की परिभाषा में नही आती हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गैरकानूनी होने से निरस्त किया जावे व दिनांक 09.10.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जावे।

उभय पक्षकारान के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्यों का भी अवलोकन किया गया व दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत कानूनी बिन्दुओं पर भी अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र मे यह स्वीकार कर रहा हैं कि उसके दादा गणपत के स्वर्गवास [illegible] जाने पर उसके आठ जायज वारिस थे जिसमें एक अप्रार्थी न. 1 पृथ्वीराज है व पृथ्वीराज [illegible] प्रार्थी सहित दो पुत्र एक प्रार्थी स्वंय व एक अप्रार्थी न. 2 [illegible] व एक [illegible] कुल तीन भाई बहन व एक पिता अप्रार्थी न. 1 हैं। इस प्रकार प्रार्थी के दादा [illegible]पत के नाम जो जैरप्रकरण भूमि थी उसमें से विरासतन अप्रार्थी न. 1 को 1/8 वां हिस्सा ही पैतृक भूमि का आया व उस 1/8 वां हिस्सा में से प्रार्थी को 1/4 वां हिस्सा भूमि आती हैं। अप्रार्थी न. 1 के नाम से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(प्रकरण संख्या–221/2023)

भाई बहनो व मां से जो दस्तबरदारी के माध्यम से भूमि हिस्सा में आई हैं वह पैतृक भूमि की परिभाषा में नहीं आने से प्रार्थी उस भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से उस भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानून सम्मत नहीं हैं। विद्यादेवी पुत्री गणपत के नाम से 1/2 हिस्सा की भूमि पर कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ ही नहीं होने से विद्यादेवी का हिस्सा इस आदेश से प्रभावित नहीं हुआ हैं।

अतः इस अदालत द्वारा दिनांक 09.10.2023 को जैरप्रकरण भूमि पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती हैं व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि चक 1 जी.एम. की जमाबंदी संवंत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 40/24 के पत्थर नम्बर 224/61 के मु.न. 65 के किला नम्बर 1, 2 ता 25/2 की 5.9470 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी न. 1 पृथ्वीराज को 1/8 वां हिस्सा यानि 0.7430 हैक्टेयर भूमि तक ही पैतृक हैं व इस 1/8 वां हिस्सा में प्रार्थी जयनारायण का संभावित 1/4 हिस्सा तक यानि 0.1860 हैक्टेयर तक ही वाद के निर्णय तक रहन व बेचान नहीं करे। अप्रार्थी न. 1 के नाम से शेष भूमि पर इस आदेश को प्रभावी नहीं माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 .को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.11 18:12:41 IST
Reason: SelfAttested